न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—350/2020 (GCMS No. 2020/00357) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. आशाराम आयु करीव 53 साल
2. सुदामा आयु करीव 30 साल

} पुत्रगण श्यामसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम चिलाचौंद तहसील बाडी जिला धौलपुर (राज.)

.....अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला धौलपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत चिलाचौंद पंचायत समिति बाडी जिला धौलपुर राजस्थान।

.....रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 26.03.2015 बावत् आवंटन आदेश क्रमांक प.12/3/53/राजस्व/2015/17 वसिलसिले ख.नं. 1572 वांके ग्राम चिलाचौंद तहसील बाडी जिला धौलपुर। (राज.)

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री किशनसिंह त्यागी, वकील।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य दिनांक : 07.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 26.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पो. सं. 2 द्वारा ग्राम चिलाचौंद के श्मशान हेतु भूमि आवंटन बावत् आराजी ख.नं. 1572 रकवा 31 बीघा 6 विस्वा किस्म वंजड हेतु प्रस्ताव रेस्पो.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया। रेस्पो. संख्या 1 द्वारा ग्राम चिलाचौंद के खसरा नम्बर 1572 रकवा 31 बीघा 6 विस्वा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन श्मशान हेतु अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पो. संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 दिनाक 18.03.2021 को उपस्थित उसके पश्चात् अनुपस्थित रहे।
3. उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये दलील दी कि आराजी ख.नं. 1572 रकवा 31.06 विस्वा वांके ग्राम चिलाचौंद तहसील बाडी में से 5 बीघा भूमि का आवंटन श्मशान के लिए जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिनांक 26.03.2015 को ग्राम पंचायत चिलाचौंद को कर दिया। खसरा नम्बर 1572 ग्राम चिलाचौंद के पश्चिम–दक्षिण दिशा में सरमथुरा बाडी रोड एवं चिलाखुर रोड के सहारे 120 गुणा 380 फुट की भूमि पर अपीलार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा है। अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर मकान बना है तथा पत्थर व्यवसाय का फड, घूरे, काठ का खोखा रखा है। उक्त खसरा नम्बर आबादी व हाईवे से लगा हुआ है। कुछ हिस्से पर आबादी बसी हुई है। प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ पट्टे पेश किये गये जो ग्राम पंचायत ने ही हमें दिये। प्रशासन ने हमारे मकान दुकान तोड दिया जिसके संबंध में सिविल वाद न्यायालय एसीजेएम बाडी में पेश कर रखा है। इस खसरा नम्बर के एक हिस्से में श्मशान है जो अपीलार्थी के पट्टे से दूर है। सिविल वाद में मौका कमिशनर गया था जिसने हमारा कब्जा 386 गुणा 120 वर्गफीट में पट्टे की जगह पर मकान बनाया था। सिविल वाद पट्टे के आधार पर किया गया है। जिला कलक्टर के आवंटन में भूमि को खाली बताया है जबकि मौके पर हमारे मकान थे और आवंटन के बाद रंजिशवश हमारी पट्टे की भूमि पर निर्मित मकानों को तोडा है। श्मशान हमेशा ग्राम की आबादी से दूर होता है लेकिन अन्य अतिक्रमियों को हटाये बगैर हमारे पट्टे की भूमि से हमारे मकान तोडे हैं। रेस्पो. सं. 2 जहॉ ख.नं. 1572 की खाली भूमि बताते है वहॉ अपीलार्थीण के 2 पट्टे दिनांक 28.07.1982 के हैं जिसपर मकान दुकान बनी है। खसरा नम्बर 1572 रकवा 31.06 बीघा में से रेस्पो. सं. 1 ने आक्षेपित आवंटन आदेश श्मशान को किया है उसमें दिशा का कोई उल्लेख नहीं किया है। आक्षेपित आवंटन आदेश अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना जानकारी, अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को दिनांक 15.09.2015 को मौखिक मौके पर जाकर अवगत कराया तब आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

इससे पूर्व अपीलार्थीगण को आवंटन आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 29.09.2015 को नकल प्राप्त की इसलिए जानकारी से अपील अवधि अन्दर पेश है। पृथक से डिले कन्डोन के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। अपीलांट द्वारा अपने अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2011(2) आरएलडब्ल्यू पेज 1389 (एस. सी.), 2010(4)आरएलडब्ल्यू पेज 3575 Raj, 2018(1)डब्ल्यूएलसी (Raj) यू.सी. पेज 159, 2023(1)आरआरटी पेज 616 एवं 2011 डब्ल्यूएलसी(यू.सी.)पेज 535 उद्धत किये। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 26.03.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांटस द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश की जो संधारणीय नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1572 रकवा 5 बीघा किस्म बंजड प्रथम वांके ग्राम चिलाचौंद तहसील बाडी का आवंटन जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिनांक 26.03.2015 को श्मशान हेतु आवंटित किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश विधि विरूद्ध होने के कथन की पुष्टि में कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि दिनांक 26.03.2015 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। क्योंकि वरवक्त आवंटित भूमि की किस्म बंजड प्रथम दर्ज है। आवंटन से पूर्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सरपंच ग्राम पंचायत चिलाचौंद द्वारा अपनी अनापत्ति दी गई है। पटवारी हल्का के मौका पर्चा दिनांक 10.02.2014 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई भी नाजायज कब्जा नहीं होना एवं किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना नहीं पाया गया है। जमाबंदी संवत् 2067 लगा. 2070 में उक्त भूमि खाता मिल्कियत सरकार दर्ज है। जिला कलक्टर धौलपुर को प्रेषित चैकलिस्ट में भी उक्त भूमि पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं होना एवं प्रतिबंधित श्रेणी की होना नहीं पाया जाता है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर किसी भी आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों से हम कतई भी सहमत नहीं है और उनके द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें भी मौजूदा प्रकरण में उनकी मददगार साबित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम आवंटन आदेश दिनांक 26.03.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर का आदेश दिनांक 26.03.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर